अजमेर
381/18/225

तारीख पेशी	बनाम 2018/00381 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.12.18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 18.12.2018 को अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्री मदनपुरी गोस्वामी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष हमारा नाम तर्क हो गया हैं इसलिए अंपील में पैरवी की आवश्यकता नही हैं। दिनांक 18.12.2018 को अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व पत्रावली अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये हैं। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुयी है। 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उक्त आदेश दिनांक 22.06.2018 की अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। **अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	